डॉ० अम्बेडकर और भारतीय संविधान

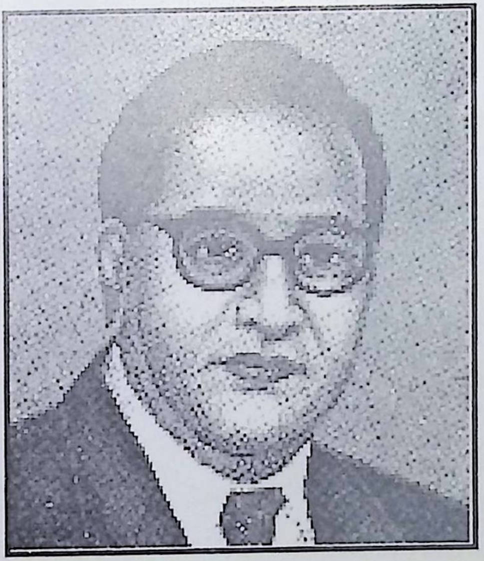

डॉ० रामभक्त लांगायन
डॉ० भीमराव अम्बेडकर अध्ययन केन्द्र,
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र

प्रकाशक :
डॉ० भीमराव अम्बेडकर अध्ययन केन्द्र,
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय,
कुरुक्षेत्र

दूरभाष : 01744-238410 Extn. 2551

सर्वाधिकार - लेखकाधीन

प्रथम संस्करण - 2000 प्रति
मार्च 2007

दि. 4/5/10 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आंबेडकर विषयक राष्ट्रीय परिसंवाद के अवसर पर प्राप्त

मुद्रक : कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रेस, कुरुक्षेत्र

डॉ० अम्बेडकर और भारतीय संविधान

डॉ० रामभक्त लांगायन

प्रकाशक
डॉ० भीमराव अम्बेडकर अध्ययन केन्द्र,
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र

''कागज पर एक अच्छा संविधान तैयार हो जाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि लोगों की इच्छा, लोगों की ईमानदारी तथा इसे सही ढंग से इस्तेमाल में लाने हेतु लोगों का विवेक ही इसे अच्छा बनाएगा''

– वी.ए. माण्डलोई,

संविधान सभा के सदस्य

''मेरा मानना है कि कोई संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह एक बुरे संविधान में निश्चय ही बदल सकता है यदि उसका उपयोग अच्छे ढंग से न किया जाए।'

डॉ० भीमराव अम्बेडकर

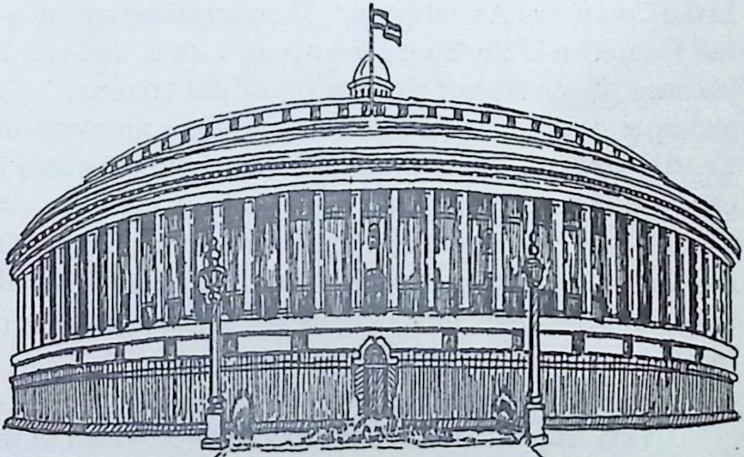

Foreword

Dr. B.R. Ambedkar was the chief architect of Indian Constitution. He worked extremely hard day and night to draft this constitution. This constitution is the best written constitution in the world. Others constitutions written by some other jurists and constitutional experts for other countries failed utterly and they have been thrown in the dust bin. But this constitution not only helped this country in keeping India united but also proved an asset to our nation.

Many constitutional experts in the world have praised this constitution and they say that this constitution is very practical constitution and gives solution to all difficulties and problems. Baba Saheb in the last speech in the Contituent Asembly said, "The constitution will not fail the nation if anything goes wrong with it, that will be because of mistake of the leaders of the country." For example article 356 of the constitution empowers the Central Govt. to impose presidential rule in the states in case the constitutional machinery fails in the state. At times it has been seen, in certain states the presidential rule was imposed to keep India united. If this article would have not been there, many states would have gone out of India.

Very important provision has been provided in the constitution i.e. safeguards for the SC/ST and O.B.Cs which has produced excellent results in improving the

condition of these people.It is praiseworthy to mention that Americans have also learnt from our constitution and started giving reservation to the Negroes in the administration of the country. Not only they have given reservation in the Govt. jobs but also in the private sector. In America and Europe, scholars have started doing research on Dr. Ambedkar's vision and philosophy so that they can understand and appreciate the thought and visionary approach of Dr. Ambedkar for upliftment of the down trodden in India and abroad.

After gone through the booklet 'Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar and Constitution' I am very happy to say that Dr. R.B. Langayan has understood the spirit of the constitution in real sense. I sincerely hope that this book will spread the basic constitutional philosophy of Dr. Ambedkar among the people.

Prof. Matadin
Ex-Head,
Campus Law Centre,
Faculty of Law,
University of Delhi

लेखकीय

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि डॉ० अम्बेडकर दलितों के मसीहा थे । उन्होंने अपना सारा जीवन दलितों के उत्थान और उन्हें समाज में समानता व स्वाभिमान का स्थान दिलाने के लिए लगा दिया । उन्होंने देश के सभी कमजोर वर्गों विशेषकर महिलाओं के लिए भी काम किया । वह अपने समय के श्रेष्ठ विद्वानों में गिने जाते थे । कानून और अर्थशास्त्र के तो वे मर्मज्ञ थे ही इसके अतिरिक्त उनका सभी विषयों पर गहन अध्ययन था । इसीलिए एक बार उन्होंने कहा था कि यदि सवर्ण जाति के लोग उनका आदर करते हैं तो वह उनकी विद्वता के कारण है, राजनैतिक कद के कारण नहीं है । यही कारण था कि जब वे संविधान सभा में चुनकर आए तो उनकी विद्वत्ता को देखते हुए उन्हें संविधान बनाने वाली मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया । उनके कन्धों पर भारी जिम्मेदारी डाली गई । उन्होंने बड़ी मेहनत और निष्ठा से दिनरात संविधान को तैयार करने का काम किया और अन्त में देश को एक विशाल संविधान प्रदान किया । उन्होंने अछूतों के अधिकारों की रक्षा करते हुए उन्हें संविधान में समानता का स्थान दिलाया । उन्हें संविधान बनाकर संतुष्टि हुई क्योंकि यही उनकी अन्तिम चाह थी कि दलितों को समाज में समानता का अधिकार मिले । 1928 में उन्होंने मनुस्मृति को इसलिए जलाया था क्योंकि उसमें शुद्रों के प्रति घृणात्मक बातें थीं और वे मनुस्मृति को छुआछूत की जड़ मानते थे । उन्होंने नई स्मृति बनाई जिसके सामने आज सब समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है । आज दलितों का मान बढ़ा है और उन्हें समानता और स्वतन्त्रता प्राप्त है तो बाबा साहेब की बदौलत है । उन्हें नई दिशा मिली है । बाबा साहेब जैसे व्यक्ति कभी-कभार पैदा होते हैं । दलित उनके मार्ग पर चल रहे हैं । यही उनकी इच्छा थी ।

राष्ट्र ऐसे महानायक को पाकर कृतज्ञ है जिन्होंने देश को ऐसा संविधान दिया जिसकी दुनिया में कोई उपमा नहीं है । यद्यपि उसमें कई संशोधन किए गए हैं लेकिन उसकी मौलिकता पर कोई आंच नहीं आई है । संविधान सभा ने संविधान बनाने का काम योग्य व्यक्ति के हाथों सौंपा था जिसने जी जान लगाकर अपना कर्तव्य निभाया । आमतौर पर यह कहा जाता है कि संविधान बनाने में अम्बेडकर का कोई हाथ नहीं था । वह तो केवल मसौदा समिति के एक सदस्य थे । इसी बात को ध्यान में रखकर वर्तमान छोटी-सी पुस्तक लिखी गई है । इसमें किसी तरह का पक्षपात नहीं किया गया है । प्रमाणों के आधार पर यह लिखी है । आशा है पाठकगण इसे पढ़कर वास्तिविक स्थिति से परिचित होंगे ।

मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर०पी० हुड्डा जी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस पुस्तक को डॉ० भीमराव अम्बेडकर अध्ययन केन्द्र से छपवाने की अनुमति दी ताकि आम जनता को इससे परिचित कराया जा सके । मैं यहां यूनिवर्सिटी प्रेस का भी आभार प्रकट करता हूं जिसके प्रबन्धक श्री मुनीन्द्रकुमार मोदि्गल जी ने अल्प समय में इसे छपवाकर पाठकों को उपलब्ध कराया । मेरे कार्यालय के लिपिक संजीवकुमार का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस पुस्तक की पाण्डुलिपि कार्यालय के समय के बाद बैठकर तैयार की । उनकी सहायता के बिना इसे छपवाना असम्भव था । अंत में मैं आशा करता हूं कि पाठकगण इस छोटी-सी पुस्तक को पढ़कर ज्ञान प्राप्त करेंगे तथा अपनी सम्मति इस केन्द्र को भेजेंगे ।

डॉ० रामभक्त लांगायन
आई०ए०एस०(सेवानिवृत्त)
निदेशक, डॉ० भीमराव अम्बेडकर अध्ययन केन्द्र
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र

डॉ० अम्बेडकर और भारतीय संविधान

भारत एक स्वतन्त्र प्रभुता सम्पन्न गणराज्य है जिसका अपना एक लिखित संविधान है जो 26 जनवरी सन् 1950 को लागू हुआ। भारत का संविधान लिखित है जो कठोर भी है तथा लचीला भी है। यह संसार के सभी देशों के संविधानों से विशाल है तथा इसमें लगभग सभी देशों के संविधानों की अच्छी अच्छी बातें ली गई हैं । जिस तरह शहद की मक्खियां फूलों का रस चुन-चुनकर शहद बनाती हैं, इसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने संसार के अच्छे-अच्छे संविधानों से अपने देश के अनुकूल आदर्श सिद्धान्तों को लेकर संविधान का निर्माण किया है । यह वह संविधान है जिसे त्यागी, तपस्वी नेताओं, बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों, संविधान विशेषज्ञों तथा स्वतन्त्रता सेनानियों के गहरे चिन्तन के बाद तैयार किया गया है। आज संविधान के सामने सब समान हैं । कानून सबसे ऊपर है और उसके दायरे में रहकर ही न्याय की गुहार की जा सकती है ।

प्रत्येक स्वतन्त्र देश का अपना एक संविधान होता है जिसके अनुसार उस देश का शासन एवं प्रशासन चलता है । यह सामान्य नियमों से परे होता है जिसमें भविष्य में आने वाली परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता होती है । स्वतन्त्रता से पूर्व सबके लिए एक जैसा कानून नहीं था । भिन्न-भिन्न धर्मों के अनुसार कानून की व्यवस्था थी । इसके अतिरिक्त ब्रिटिश काल में समय-समय पर कुछ अधिनियम बनाए गए थे जिनके अनुसार प्रशासन चलता था । स्वतन्त्रता के बाद जरूरी था कि देश का अपना एक संविधान हो जिसके अनुसार समस्त देश का शासन व प्रशासन चलाया जा सके ।

डॉ० अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। वह अपने समय के प्रसिद्ध विद्वान व विधिवेत्ता थे । शिक्षा के क्षेत्र में अनेक डिग्रियां प्राप्त की थीं । दलितों के उत्थान के लिए तो दलित वर्ग उन्हें सदा याद करेगा ही लेकिन संविधान निर्माता के रूप में भी उनकी सेवाएं उन्हें सदा याद दिलाती रहेंगी । उन्होंने ऐसा संविधान दिया जो समानता, मातृत्व व सामाजिक न्याय पर आधारित है।

संविधान के निर्माण की प्रक्रिया 1919 के एक्ट के साथ शुरु हो गई थी । साऊथ बरो कमेटी ने समस्त देश का भ्रमण किया था । कमेटी ने दलितों की स्थिति का भी जायजा लिया था । भिन्न-भिन्न समुदायों, सम्प्रदायों, राजनीतिक दलों के लोग उसके समक्ष पेश हुए थे। उसी की सिफारिश अनुसार 1919 का एक्ट पास हुआ था । इसके बाद 1928 में साइमन कमीशन भारत आया जिसका कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार किया था और उस समय लाला लाजपतराय को चोटें आई थीं जिनके कारण बाद में इनका देहान्त हो गया था । उपरोक्त दोनों कमीशनों के सामने डॉ० अम्बेडकर ने उपस्थित होकर दलितों की बदतर हालत के बारे में अवगत कराया था तथा उनके राजनैतिक अधिकारों की पुरजोर मांग की थी । जब इन दोंनों आयोगों से साम्प्रदायिक झगड़ों का हल नहीं निकला तो ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में गोलमेज कांफ्रैंस बुलाई गई थी जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन प्रधानमंत्री ने की थी और जिसमें सभी दलों के लोग शामिल हुए थे । कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज कांफ्रैंस का विरोध किया था । फलस्वरूप महात्मा गांधी उसमें शामिल नहीं हुए थे । डॉ० अम्बेडकर व दीवान बहादुर आर० श्रीनिवासन ने इन गोलमेज कांफ्रैंसों में दलितों का प्रतिनिधित्व किया था । कांग्रेस का प्रथम गोलमेज कांफ्रैंस में हिस्सा न लेने के कारण कोई फैसला नहीं हो सका था । इसलिए द्वितीय गोलमेज कांफ्रैंस बुलाई गई थी जिसमें महात्मा गांधी जी

ने भी हिस्सा लिया था । इन गोलमेज सम्मेलनों में जो भी बहस होने के बाद फैसले हुए उन्हें 1935 के एक्ट में परिवर्तित कर दिया गया था । ये सभी एक्ट बाद में संविधान बनाते समय बहुत उपयोगी सिद्ध हुए।

डॉ० अम्बेडकर ने संविधान निर्माण में शुरु से ही बड़ा सहयोग दिया । प्रथम गोलमेज कांफ्रेंस में उन्होंने भारतीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अंग्रेजों को ललकारते हुए कहा था, "वह समय लद गया जब आप निर्णय लेते थे और भारत को स्वीकार करना पड़ता था । वह समय अब कभी लौट कर नहीं आएगा । आपके तर्क का संयोग नहीं बल्कि लोगों की सहमति ही संविधान की कसौटी होनी चाहिए यदि आप चाहते हैं कि वह कार्य में लाया जा सके । केवल स्वराज संविधान द्वारा ही हम राजनैतिक शक्ति अपने हाथों में पाने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं । उसके बिना हम अपने लोगों के लिए समाधान नहीं प्राप्त कर सकते । भारत में नौकरशाही सरकार के स्थान पर इस प्रकार की सरकार आनी चाहिए जो लोगों की हो, लोगों द्वारा हो और लोगों के लिए हो ।"

डॉ० अम्बेडकर ने 1928 में महाद में मनुस्मृति को जलाया था। मनुस्मृति हिन्दुओं का पवित्र ग्रंथ है । यह उनकी आचार संहिता भी है। इसमें सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक सभी बातें कही गई हैं । हिन्दुओं के बहुत सारे कानून मनुस्मृति के आधार पर ही बने हैं । अछूतों की दुर्दशा तथा उसका जिम्मेदार कौन है, इस बात पर हिन्दू नेताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनुस्मृति का दहन किया गया था। जिसका काफी विरोध हुआ था । जब संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरु हुई और संविधान सभा का गठन किया गया उस समय डॉ० अम्बेडकर दलितों के अधिकारों की रक्षार्थ संविधान सभा में चुन कर आए थे । यह संयोग

की बात थी कि बाद में उन्हें संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति का सदस्य चुना गया और वे उसके अध्यक्ष चुने गए तथा उनके हाथों से संविधान का निर्माण हुआ ।

कांग्रेस की सदैव यह मांग रही थी कि देश का एक संविधान होना चाहिए तथा इसका निर्माण भी भारतीयों द्वारा होना चाहिए । 16 मई सन् 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की जिसने भविष्य में संविधान तैयार करने के लिए एक संविधान सभा बनाने का भी सुझाव दिया । कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इसे स्वीकार किया । सिफारिश के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया जिसमें सभी प्रान्तों की विधानसभाओं ने अपने-अपने मेम्बर चुनकर भेजे । डॉ० अम्बेडकर क्योंकि विरोधी पार्टी के थे और बम्वई विधान सभा में कांग्रेस का बहुमत था, इसलिए वे बम्बई विधानसभा से चुनकर नहीं आ सके । बाद में बंगाल से जोगिन्द्रनाथ मण्डल के सक्रिय सहयोग और मुस्लिम लीग के समर्थन से वे दलितों के उम्मीदवार के रूप में संविधान सभा में आए ।

संविधान सभा के बारे में यहां बताना उपयुक्त होगा कि इस सभा में 296 सदस्य थे । वे साधारण मानव नहीं थे। वे अपने समय के प्रतिष्ठित प्रतिभाशाली समर्पित महापुरुष थे जिनमें साहित्यकार, प्रसिद्ध विधिवेत्ता, संविधान विशषज्ञ, प्रसिद्ध विद्वान, स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता, सामाजिक व राजनैतिक नेता आदि शामिल थ`। ऐसा संगठन न कभी रहा और न होगा । वे सभी महान् व्यक्तित्व के धनी व देशभक्त थे । एक से एक त्याग व तपस्या की जीती जागती तस्वीर थे । कांग्रेस डॉ० अम्बेडकर को इस संविधान सभा में लाना नहीं चाहती थीं क्योंकि उनके विचारों में मतभेद था । डॉ० अम्बेडकर पहले सामाजिक स्वतंत्रता

के पक्षधर थे जबकि कांग्रेस पहले राजनैतिक स्वतंत्रता की पक्षधर थी और इसके बाद ही दलितोत्थान की समस्या को हल करना चाहती थी। यही इन दोनों के मतभेद का कारण था । अम्बेडकर नीचे से ऊपर जाना चाहते थे जबकि गांधी जी व कांग्रेस सभी ऊपर से नीचे आने के पक्षधर थे । लेकिन डॉ० अम्बेडकर अपने प्रयास से संविधान सभा में चुनकर आए । उनका एक ही ध्येय था कि संविधान में दलितों के अधिकारों का ख्याल रखा जाए । वह उनकी पैरवी के लिए संविधान सभा में आए थे । यद्यपि एम० जयकर, तेज बहादुर सप्रु जैसे और भी संविधान मर्मज्ञ संविधान सभा में थे परन्तु अम्बेडकर भी उनसे कम नहीं थे । वे बैरिस्टर थे और लॉ कालेज़ में प्रिंसिपल भी रहे थे । गोलमेज कांफ्रैंस में वे अपनी योग्यता की छाप छोड़ चुके थे और महात्मा गांधी भी तभी से उनसे बड़े प्रभावित थे ।

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को हुई जिसकी अध्यक्षता डॉ० सच्चिदानन्द सिन्हा ने की । बाद में सर्वसम्मति से डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को सभा का अध्यक्ष चुना गया । पहली बैठक में अनुपस्थित वे ही लोग थे जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे जिन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था । 13 दिसम्बर 1946 को पंडित जवाहर लाल नेहरु ने लक्ष्य आधारित संकल्प प्रस्तुत किया । नेहरु ने संविधान बनाने की रूपरेखा तैयार की थी जिसके अनुरूप संविधान बनना था । ये वे मापदण्ड थे जिनके विरुद्ध संविधान की कोई धारा नहीं बन सकती थी । इसमें आठ बिन्दु निर्धारित किए गए थे । 16 दिसम्बर 1946 को डॉ० एम० जयकर ने संकल्प में अपना संशोधन पेश किया। उस पर बहस हुई । बड़े-बड़े नेताओं ने भाषण दिए । समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए । तब अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने डॉ० भीमराव अम्बेडकर को बोलने का निमन्त्रण दिया ।

डॉ० अम्बेडकर को आशा नहीं थी कि उन्हें भी बोलने का समय दिया जाएगा । उनका विचार था कि सबसे बाद में उन्हें बोलने के लिए कहा जाएगा । क्योंकि डॉ० अम्बेडकर कांग्रेस के विरोधी थे, इसलिए आम धारणा थी कि वे संशोधन करने का खतरनाक खेल खेलेंगे । उन्होंने नेहरु के प्रस्ताव की थोड़ी-सी आलोचना की और कहा कि प्रस्ताव समाजवाद पर आधारित नहीं है जबकि नेहरु अपने आपको समाजवादी कहते हैं । दूसरे, सभा में मुस्लिम लीग के सदस्यों के आने की प्रतीक्षा नहीं की गई । साथ में उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्तावों में अधिकारों की रक्षा के लिए प्रावधान नहीं रखा गया है । जब तक यह न हो तब तक मौलिक अधिकारों का कोई औचित्य नहीं है । उनका भाषण बड़ा तेजस्वी था जो देशभक्ति से भरा हुआ था । उसमें कहा गया था कि "मैं देश से भागने वाला नहीं हूँ । देश सबसे ऊपर है जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए ।" जो भाषण उन्होंने संविधान सभा में पहली बार दिया उसने उनका राजनैतिक जीवन ही बदल दिया । सभी ने उनके भाषण की प्रशंसा की । प्रत्यक्षदर्शी एन०वी० गाडगिल के ये शब्द उल्लेखनीय हैं :

> "उनका व्याख्यान इतना राजनैतिक कौशल से भरा हुआ था तथा जो कड़वाहट से रहित एवं चुनौतिपूर्ण था कि सम्पूर्ण सदन ने इसे पूर्ण शान्ति के साथ ध्यानपूर्वक सुना । इस अभिभाषण की भूरि-भूरि प्रशंसा हुई तथा लाबी में उन्हें सभी ने बधाई दी।" उनके भाषण के बाद उसका इतना प्रभाव पड़ा कि संशोधन पर विचार विमर्श के लिए बैठक अगले सत्र तक स्थगित कर दी गई।

15 अगस्त 1947 को देश आजाद होना था । उससे बहुत पहले बंगाल के दो टुकड़े हो गए थे, एक पूर्वी बंगाल तथा दूसरा पश्चिमी

बंगाल। पूर्वी बंगाल से डॉ० अम्बेडकर चुनकर संविधान सभा में आए थे । पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में जाने के परिणामस्वरूप डॉ० अम्बेडकर की सदस्यता संविधान सभा से समाप्त हो गई । वे संविधान सभा की अनेक समितियों के सदस्य थे । पंडित जवाहर लाल नेहरु और सरदार पटेल को उनसे काफी मदद की आशा थी । इसलिए उनका सभा में बना रहना जरुरी समझा गया । अतः डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने बम्बई के प्रधानमंत्री श्री वी०जी० खेर को 30 जून 1947 को एक पत्र लिखा कि अम्बेडकर को बम्बई विधानसभा से चुनकर भेजा जाए।[1] ऐसा ही पत्र सरदार पटेल ने भी लिखा और कहा कि जुलाई के सत्र से पहले बम्बई विधान सभा से डॉ० अम्बेडकर को चुनकर संविधान सभा में भेजा जाए।[2] इस प्रकार डॉ० अम्बेडकर को बम्बई विधान सभा ने संविधान सभा में चुनकर भेजा । वही कांग्रेस जो अम्बेडकर को संविधान सभा में प्रवेश का विरोध कर रही थी और जिसे कभी डॉ० अम्बेडकर ने जलता हुआ आशियाना कहा था, अब उन्हें संविधान सभा में लाने के लिए आतुर थी । यही नहीं जहां पहले डॉ० अम्बेडकर कांग्रेस का बहुत विरोध करते थे वे भी सभा में आकर ढ़ीले पड़ गए और बाद में तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि यदि कांग्रेस पार्टी न होती तो यह संविधान नहीं बन सकता था । कांग्रेस जनों ने संविधान निर्माण में पूरी एकता से साथ दिया और कभी भी रोड़ा नहीं अटकाया । इस प्रकार यह विरोधाभास ही था । दोनों की दूरी कम हुई और इससे दलितों के अधिकारों की रक्षा करने में भारी मदद मिली ।

24 अगस्त 1946 को वायसराय ने अस्थाई मंत्रिमण्डल के नाम घोषित कर दिए थे। उनमें पंडित जवाहर लाल नेहरु, सरदार पटेल, राजगोपालाचार्य के नाम शामिल किए गए थे । दलितों की तरफ से जगजीवन राम का नाम भी शामिल था । डॉ० अम्बेडकर को मंत्रिमण्डल

में नहीं लिया गया था जिससे अम्बेडकर को अप्रसन्नता होनी स्वाभाविक थी । 15 अगस्त का दिन नजदीक था । काम चलाऊ सरकार बननी थी । संविधान बनाने की सारी जिम्मेदारी पंडित जवाहर लाल की थी। वह चिन्तित थे कि संविधान बनाने का काम किसे दिया जाए । एक दिन वह सरोजिनी नायडू के साथ महात्मा गांधी जी से मिलने गए । गांधी जी को नेहरु उदास दिखाई दिए और उनकी उदासी का कारण पूछा। नेहरु ने कहा कि देश को एक संविधान चाहिए, लेकिन देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता जो संविधान तैयार कर सके । मेरा विचार है कि प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ आइवर जेनिंगज से संविधान बनवा लिया जाए जिसने एशिया के कई देशों के संविधान बनाए हैं । इस पर गांधी जी ने कहा कि उनकी नजर में भारत में एक संविधान विशेषज्ञ है - डॉ0 अम्बेडकर, जिन्होंने गोलमेज कांफ्रेंस में भी संविधान बनाने में काम किया था । पंडित नेहरु ने कहा कि अम्बेडकर स्वतंत्रता आन्दोलन के अवरोधक रहे हैं । इस पर गांधी जी ने कहा कि 'अब तो देश आजाद हो गया है और देश का निर्माण करना है । हमें डॉ० अम्बेडकर की प्रतिभा का लाभ उठाना चाहिए और देश के निर्माण में उनका फायदा उठाना चाहिए[3] । गांधी जी की सिफारिश पर उन्हें प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था । डॉ0 अम्बेडकर यद्यपि विरोधी पार्टी के सदस्य थे लेकिन पंडित जवाहर लाल नेहरु ने उन्हें विधि मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया । डॉ0 अम्बेडकर ने उसे स्वीकार किया । उन्हें यह भी कहा कि बाद में उन्हें नियोजन अथवा विकास विभाग भी दे दिया जाएगा। हिन्दू महासभा के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी मंत्रिमण्डल में लिया गया। ये दो ही व्यक्ति मंत्रिमण्डल में ऐसे थे जो कांग्रेस से सम्बन्ध नहीं रखते थे । 3 अगस्त 1947 को मंत्रिमण्डल की घोषणा की गई, उस समय डॉ० अम्बेडकर बम्बई में थे । बम्बई में सभी संस्थाओं और विशेषकर शोषितों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया । वास्तव में यह एक

अद्भुत बात थी कि एक व्यक्ति पर्णकुटि से उठकर देश की सर्वोच्च पंचायत में एक महत्त्वपूर्ण पद सम्भाले । जिन लोगों ने उन्हें अंग्रेजों का पिट्ठू कहा था और जिसे कांग्रेस अपना घोर विरोधी मानती आ रही थी, उसी पार्टी के लोग उनका जयघोष करने लगे । यह उनकी महानता थी। उन्हें मंत्री बनाना वास्तव में सरस्वती का सम्मान था ।

15 अगस्त 1947 को भारतीय संघ और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र हुए । पाकिस्तान की पृथक् विधान परिषद् बनी और पराधीन भारत की विधान परिषद् स्वाधीन भारत की परिषद् बन गई । 29 अगस्त 1947 को संविधान समिति द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया जिसमें सात सदस्य थे । एन० गोपालस्वामी आयंगर, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉ० बी०आर० अम्बेडकर, डॉ० के०एम० मुंशी, सैयद मुहम्मद सादुल्ला, सर बी०एल० मित्तर और डी०पी० खेतान इसके सदस्य थे । बाद में सर बी०एल० मित्तर की जगह टी०टी० कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था । प्रारूप समिति की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई और सर्वसम्मति से डॉ० अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष चुना गया । कुछ नेता इस पक्ष में नहीं थे कि अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। लेकिन जवाहर लाल नेहरु ने कहा कि "अम्बेडकर के सिवाय ऐसा कोई विद्वान् नहीं है जो इस काम को अपने हाथों में ले सके । इतने जोखिम, योग्यता और अति परिश्रम के काम को सिवाय अम्बेडकर के दूसरा कोई व्यक्ति सम्पन्न नहीं कर सकता"। यह एक विडम्बना ही थी कि डॉ० अम्बेडकर को इतना बड़ा काम सौंपा गया । जिसे बचपन में जाति पाति का विष पीना पड़ा, जिसे पाठशाला में एक कोने में बिठाया गया, जिसे देवालयों में नहीं जाने दिया, प्रोफेसर बनने पर जिसका अपमान किया गया, जिसे अंग्रेजों का पिट्ठू व पाषाण हृदय कहा गया, जिसे

राष्ट्रद्रोही की संज्ञा दी गई, जिसने मनुस्मृति जलाई, ऐसे व्यक्ति को भारत का संविधान बनाने का काम सौंपना एक आश्चर्यजनक घटना थी। उनके अध्यक्ष चुने जाने पर वी०वी० गिरि ने कहा था, It was rare distinction and honour conferred on one who was so eminently qualified for it.[4] डॉ० अम्बेडकर ने जी जान से संविधान बनाने का काम किया। इस सम्बन्ध में मसौदा समिति के एक सदस्य टी०टी० कृष्णम्माचारी ने संविधान सभा में कहा था कि अकेले डॉ० अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया जिसके लिए हम सब उनके आभारी रहेंगे ।

संविधान की प्रस्तावना संविधान समिति ने स्वीकार कर ली थी । इस प्रस्तावना को डॉ० अम्बेडकर ने बड़े विवेक से तैयार किया था जिसकी प्रशंसा विश्वभर में की गई थी । कुछ विद्वानों ने इसे संविधान की कुञ्जी की संज्ञा दी थी । न्यायालयों तथा बड़े-बड़े कार्यालयों में आज भी इस प्रस्तावना को बड़ी श्रद्धा व आदर के साथ लगाया जाता है । डॉ0 अम्बेडकर अनेकों समितियों के सदस्य भी थे। वह फ्लेग कमेटी के सदस्य भी थे और उन्होंने ही राष्ट्रीय ध्वज में चरखे की जगह अशोक चक्र राष्ट्रीय चिह्न के रूप में स्वीकृत करवाया था।

प्रारूप समिति की 13 फरवरी 1948 तक कुल 44 बैठकें हुईं। डॉ० अम्बेडकर हर मीटिंग में उपस्थित रहे । 14 फरवरी 1948 को डॉ० अम्बेडकर ने संविधान का कच्चा मसौदा तैयार करके संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को सौंपा । उन्होंने अम्बेडकर की सराहना की । आठ मास के लिए प्रारूप जनता के सामने रखा गया ताकि इस पर जनता के सुझाव आ सकें । 14 नवंबर 1948 को संविधान समिति के सामने संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इसमें 315 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं। डॉ० अम्बेडकर ने संविधान को प्रस्तुत करते हुए

इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला । इस पर विस्तार से बहस हुई । कुल 52 सदस्यों ने संविधान सभा में अपने विचार रखे जिनमें से 38 पक्ष में थे तथा 8 विरोध में थे ।

कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि डॉ० अम्बेडकर ने संविधान बनाने के अनुबन्धों व प्रस्तावों का उल्लंघन किया है और उन्होंने अपने ढंग से संविधान बनाया है । मौलाना हसरत मोहानी ने महावीर त्यागी के संशोधन का समर्थन करते हुए कहा कि 'यह संशोधन सभा के उद्देशीय प्रस्ताव के अनुरूप है । उन्होंने कहा जब संविधान बनाने की कमेटी का गठन हुआ तब यह साफ तौर पर बताया गया था कि उद्देशीय प्रस्ताव के अनुरूप संविधान बनाना है । अब डॉ० अम्बेडकर अपनी राह से अलग चले गए हैं । उन्होंने उद्देशीय प्रस्ताव (objective resolution) के अनुरूप कार्य नहीं किया । मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप देखें कि उन्होंने क्या किया है? उद्देशीय प्रस्ताव के अनुरूप संविधान बनाने की बजाय उन्होंने उद्देशीय प्रस्ताव को अपने ही विचार के अनुरूप रखा है । संविधान विसंगतियों का एक पुलिन्दा है और यह रद्दी की टोकरी में फैंकने लायक है । उन्होंने अपने ढंग से काम किया है । इसलिए उनके प्रयास केवल समय और शक्ति की बर्बादी है।'

इसका माननीय एम० अनन्यशयनम् अयंगर ने विरोध किया और कहा कि इस प्रकार का संशोधन मानने से संविधान बिगड़ जाएगा । सभा में हर इतराज पर बहस होती थी । यहां तक कि कोमा और पूर्णविराम आदि पर भी बहस होती थी । लेकिन संविधान सभा ने डॉ० अम्बेडकर की विद्वत्ता को देखते हुए उन्हें विशेष अधिकार दिया गया था कि संशोधन का स्पष्टीकरण डॉ० अम्बेडकर द्वारा दिए जाने के बाद किसी अन्य सदस्य को बहस करने का अधिकार नहीं होगा ।

सभी सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे । आलोचना की गई कि यह संविधान 1935 एक्ट की नकलमात्र है, इसमें अल्पसंख्यकों के हितों को जोड़ा गया है, इसका कोई भी अंश प्राचीन राज्य तंत्र को प्रतिविम्बित नहीं करता, यह बहुत लम्बे समय में बनाया गया है, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धान्त आदि की भी आलोचना की।

इन सबका उत्तर देते हुए डॉ० अम्बेडकर ने कहा - एक बड़ा संविधान तैयार करने के लिए इतना लम्बा समय जरूरी था । संविधान देश की जरूरतों के अनुरूप बनाया गया है । उन्होंने कहा कि यह ठीक है कि कई बातें 1935 एक्ट की यूं की यूं ले ली गई हैं । ऐसा करना कोई चोरी नहीं है । एक संविधान के मूलभूत विचारों पर किसी का पेटेंट नहीं है । अल्पसंख्यकों के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें जो संरक्षण दिया है वह सभा के प्रारूप अनुसार दिया गया है । अल्पसंख्यकों का अस्तित्व बहुसंख्यकों द्वारा नकारा जाना अनुचित है । उन्होंने संरक्षण प्रदान करने को उचित ठहराया । इसी प्रकार उन्होंने मौलिक अधिकारों व नीति निर्देशक सिद्धान्तों की आलोचना को कपटपूर्ण बताया । उन्होंने कहा कि आलोचना मौलिक अधिकार और अमौलिक अधिकारों के भेद स्पष्ट न होने के कारण की जा रही है । उन्होंने उनका भी खंडन किया जो कहते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धान्त केवल पवित्र घोषणाएं मात्र हैं और उनकी कोई वैधानिक शक्ति नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धान्तों को ठीक बताते हुए उन्होंने कहा कि 1935 के एक्ट के अधीन भी ये जारी किए गए हैं। अन्त में डॉ० अम्बेडकर ने कहा-"मुझे विश्वास है कि सभी आरोपों का जिस प्रकार प्रारूप समिति ने समाधान किया है, उसी प्रकार से मैंने इन आरोपों का उत्तर दे दिया है । अब यह संविधान सभा पर निर्भर करता है कि वह प्रारूप समिति द्वारा तैयार किए गए इस संविधान को स्वीकार करती है अथवा इसे पारित करने से पूर्व इसमें संशोधन करती है।

उन्होंने यह भी बताया कि इसकी प्रान्तीय विधान सभाओं में चर्चा हुई है। किसी विधान सभा ने कोई विशेष आपत्ति नहीं उठाई है । मुझे लगता है इस संविधान से यह देश अच्छी शुरुआत कर सकता है । यह लचीला है तथा यह देश को शान्तिकाल और युद्धकाल जैसे अवसरों पर भी एकजुट रख सकता है।'' उन्होंने यह भी कहा कि ''संविधान बुरा भी हो परन्तु यदि उसको लागू करने वाले अच्छे हों तो वह संविधान भी अच्छा बन सकता है, लेकिन संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो उसको लागू करने वाले अच्छे न हों तो वह संविधान भी बुरा साबित होगा।''[5]

17 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप का तीसरी बार अध्ययन किया गया । संविधान सभा में 26 नवंबर को इस पर चर्चा खत्म हुई। 26 नवम्बर 1949 को डॉ0 अम्बेडकर ने अपना भाषण दिया। उन्होंने बताया कि संविधान बनाने में दो वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे हैं जिसमें सभा के कुल 11 सत्र हुए । विचार विमर्श की प्रक्रिया के बाद अनुच्छेदों की संख्या 396 हो गई जिसमें 8 अनुसूचियां हैं । संविधान बनाने के दौरान कुल 7635 संशोधन प्राप्त हुए जिनमें से सदन में कुल 2477 संशोधन वास्तव में काम में लाए गए ।

संविधान बनाने का श्रेय किसको जाना चाहिए, इस पर भिन्न-भिन्न धारणाएं रही हैं । कुछ कांग्रेसियों ने भी आरोप लगाया था कि डॉ० अम्बेडकर की संविधान बनाने में कोई महत्त्वपूर्ण भूमिका नहीं रही। डॉ० अम्बेडकर ने कहा था[6] कि इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं हो सकता । उनकी चुनौती थी कि वे लिखित प्रभावों से यह सिद्ध करने को तैयार हैं कि किस प्रकार प्रारूप समिति के उनके सहयोगियों ने संविधान बनाने में अनिच्छा दर्शायी थी । उन लोगों ने कभी कभार ही समिति की बैठकों में उपस्थिति दर्ज करायी थी तथा सारी जिम्मेदारी उनके तथा समिति के सचिव के कन्धे पर ही थी । उन्होंने फिर भी कभी यह नहीं

कहा कि उन्होंने ही सारा काम किया है । उन्होंने कहा "मैं संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के संरक्षण के अतिरिक्त अन्य कोई महत्त्वाकांक्षा लेकर नहीं आया था । मुझे दूर-दूर तक यह ख्याल नहीं था कि मुझे इससे कहीं अधिक जिम्मेदारी वाला दायित्व सौंपा जाने वाला है । इस बात से मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे प्रारूप समिति में चुना गया है । इससे भी अधिक आश्चर्य मुझे तब हुआ जब प्रारूप समिति ने मुझे अपना अध्यक्ष चुन लिया । प्रारूप समिति में जबकि सर अल्लादि कृष्णस्वामी अयर जैसे मुझ से कहीं अधिक बड़े, बेहतर तथा सुयोग्य विद्वान थे जो श्रेय मुझे दिया जा रहा है कि संविधान मैंने बनाया, दरअसल यह मेरा श्रेय नहीं है । यह श्रेय आंशिक रूप से संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी०एन० राऊ को जाना चाहिए, जिन्होंने प्रारूप समिति के विचार हेतु संविधान का एक कच्चा प्रारूप तैयार किया था । इसका कुछ श्रेय प्रारूप समिति के सदस्यों को जाना चाहिए जो 141 दिनों तक बैठे तथा जिन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से काम किया । श्री एस०एन० मुखर्जी को भी यह श्रेय जाना चाहिए जिन्होंने प्रारूप को मुख्य रूप से शक्ल दी । वे सभा की अमूल्य निधि हैं । प्रारूप समिति का कार्य और भी कठिन हो जाता यदि संविधान सभा मूक दर्शन बनी बैठी रहती । सभा में अनुशासन रहा, सुव्यवस्था बनी रही । अतः प्रारूप को शान्तिपूर्वक प्रस्तुत करने का श्रेय कांग्रेस पार्टी को भी जाना चाहिए।"[7]

लेकिन अम्बेडकर का यह कहना कि संविधान निर्माण का श्रेय उसे नहीं औरों को जाता है यह उनकी महानता थी । वास्तव में जो जिम्मेदारी डॉ० अम्बेडकर को दी गई थी उसे उन्होंने निष्ठापूर्वक निभाया । रात दिन वह इस काम में लगे रहे । संविधान के एक-एक परिच्छेद को बार-बार देखा । विश्व के सभी संविधानों को पढ़ा ।

जो-जो एतराज, संशोधन समय-समय पर प्राप्त हुए उनका समाधान किया । डॉ० अम्बेडकर को ही इसके निर्माण का श्रेय जाता है, इसका अनुमान प्रारूप समिति के एक सदस्य श्री टी०टी० कृष्णमाचारी के ब्यान से हो जाता है जो उन्होंने संविधान सभा में दिया :

"आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के उन लोगों में से एक हूँ, जिन्होंने डॉ० अम्बेडकर को पूरी तन्मयता से सुना है । मैं इस तथ्य से भलीभांति अवगत हूँ कि इस संविधान के प्रारूप को तैयार करते समय उन्होंने कितना परिश्रम किया होगा । इस मौके पर मुझे इस बात का अहसास है कि एक संविधान को तैयार करने के लिए जितना ध्यान दिया जाना हमारे लिए आवश्यक था शायद उतना ध्यान इसे प्रारूप समिति द्वारा नहीं दिया गया । सम्भवतः सदन को यह ज्ञात हो कि आपके द्वारा प्रारूप समिति में सात सदस्य नामित किए गए थे, जिनमें से एक ने सदन से त्याग पत्र दे दिया था, जिसके खाली स्थान को नहीं भरा गया । एक सदस्य की मृत्यु हो गई तथा उसके स्थान पर भी दूसरा सदस्य नामित नहीं किया गया । एक अमेरिका में था तथा उसके स्थान की पूर्ति भी नहीं की गई तथा एक अन्य सदस्य राज्य के मामलों में उलझा हुआ था और इस हद तक समिति में खालीपन था । एक या दो लोग दिल्ली से काफी दूर थे तथा खराब स्वास्थ्य की वजह से वे इसकी बैठकों में शामिल नहीं हो सके। अतः ऐसा लगता है कि संविधान को तैयार करने का सारा परिश्रम डॉ० अम्बेडकर को ही करना पड़ा तथा मुझे इस बात पर कोई सन्देह नहीं है कि हमें उनके प्रति इस बात के लिए आभारी होना चाहिए कि उन्होंने यह कार्य जिस परिश्रम के साथ पूरा किया है उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।"[8]

इस अवसर पर वी०आई० मुनिस्वामी पिल्लै ने उद्‌गार प्रकट करते हुए कहा – "जिस जाति से डॉ० बी०आर० अम्बेडकर आते हैं,

मैं भी उसी जाति का हूँ । मुझे इस बात पर गर्व है कि उनकी क्षमता को सभी समुदाय के लोगों ने पहचाना है । अनुसूचित जातियों में महान् भक्त नन्दनार, महान् वैष्णव सन्त थिरूपजनलवार, महान सन्त थिरूवल्लुवर हुए हैं । हरिजन महापुरुषों के इस शक्तिपुंज में अब हम डॉ० अम्बेडकर को भी जोड़ सकते हैं जिन्होंने यह साबित कर दिया है कि अनुसूचित जाति के लोग भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं और वे भी अपनी सेवाएं विश्व को देकर शिखर की ऊंचाई हासिल कर सकते हैं।''[9]

डॉ० पट्टाभि सीता रमैया ने कहा – ''हमारे मित्र डॉ० अम्बेडकर जा चुके हैं। मैं उन्हें बताना चाहता था कि उन्होंने इस महान एवं शानदार कार्य को पूरा करने के लिए कितनी अधिक विद्वत्ता एवं कौशल का प्रयोग किया होगा । यह कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण, अद्वितीय, अविजित एवं अलौकिक है । हम इस हेतु उनके सम्मान में सिर झुकाते हैं और उन्हें हाथ जोड़कर नमन करते हैं ।'' उन्होंने आगे कहा : ''वे एक ऐसे विद्वान बुद्धिजीवी हैं, जिन्होंने वह कार्य कर दिखाया जो अत्यन्त दुष्कर था। वे किसी भी परिस्थिति में गलत विरोध के आगे नहीं झुके, न ही परास्त हुए । उन्होंने भिंची हुई मुट्ठियों तथा क्षणिक उत्तेजनाओं को पूर्ण कौशल के साथ शान्त किया तथा जो उन्हें उचित प्रतीत हुआ, वे उसके साथ अंजाम की परवाह किए बिना सीना तानकर डटे रहे।''[10]

संविधान पारित होने से पहले संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने जो भाषण दिया था उससे भी स्पष्ट होता है कि डॉ० अम्बेडकर की संविधान बनाने में क्या भूमिका थी? उन्होंने कहा था –''मैं संविधान सभा को उसके द्वारा किए गए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए बधाई देता हूँ । मेरा उद्देश्य न तो इस कार्य का मूल्यांकन करना है और न ही संविधान सभा के इस कार्य के गुण-अवगुण

की चर्चा करना है । मैं यह कार्य दूसरों पर तथा आने वाली पीढ़ियों पर छोड़ता हूँ। जिस दृढ़ता एवं समर्पण के साथ प्रारूप समिति के सदस्यों, विशेषकर इसके अध्यक्ष डॉ० अम्बेडकर ने अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद कार्य किया है वह काबिले तारीफ है (करतल ध्वनि)। उन्हें प्रारूप समिति में रखकर तथा इसका अध्यक्ष बनाकर जो कुछ सही निर्णय हमने लिए हैं, वह अत्यन्त दुर्लभ थे । उन्होंने न सिर्फ अपने चयन को सार्थक सिद्ध किया, बल्कि उन्होंने अपने कार्य के प्रति एक तृष्णा भी दिखाई । इस सम्बन्ध में समिति के अन्य सदस्यों के साथ भेदभाव करना अनुचित होगा । मैं जानता हूँ कि इस सभा ने समान रूप से अपने अध्यक्ष की भांति ही पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह किया है और वह देश की ओर से धन्यवाद के पात्र हैं।''[11]

अन्त में भारत का संविधान 26 नवम्बर 1949 को स्वीकार कर लिया गया । इस संविधान की अनेक विशेषताएं हैं। यह लिखित है और विश्व के सभी संविधानों से विशाल है जो कठोर व लचीला है । समय के अनुरूप उसमें संशोधन हो सकते हैं और ऐसे संशोधन अब तक हो चुके हैं । लेकिन इसके मूलभूत ढ़ांचे को नहीं बदला जा सकता । मौलिक अधिकार संविधान की आत्मा । संविधान की सारी विशेषताओं के बावजूद उन्होंने कहा था कि केवल संविधान की धाराओं के कारण देश प्रगतिशील और कल्याणकारी नहीं बन सकता। उसके लिए राजनीतिज्ञों की छवि व शासन की प्रतिबद्धता जरूरी है । उन्होंने कहा संविधान मिला, स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, उसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ प्राप्त हो गया । जनतन्त्र रूपी वृक्ष फलने-फूलने के लिए मूल्य विषयक दृष्टि का होना जरूरी है । आज देश में प्रजातंत्र है । उनकी नजर में प्रजातंत्र का दूसरा अर्थ है समानता । कानून की दृष्टि से आज सब

समान हैं । सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र दोनों आवश्यक हैं जो राजनैतिक प्रजातंत्र के ताने बाने हैं ।

हमारा देश विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों का देश है । संविधान में सभी धर्मों का बराबर दर्जा है । कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार धर्म अपना सकता है । सभी धर्मों का सम्मान करना नागरिकों का कर्त्तव्य है । यही देश की एकता का सूत्र है । डॉ० अम्बेडकर ने अपने अन्तिम भाषण में उस समय की राजनीतिक विचारधाराओं व धार्मिक अवधारणाओं को परिलिक्षित करते हुए देश की आजादी को अक्षुण्ण रखने के लिए जो शब्द कहे थे वे उल्लेखनीय हैं :-

''क्या कभी भारतवासी अपने-अपने धर्मों से ऊपर देश को रख सकेंगे अथवा क्या उनके लिए धर्म देश से बड़ा होगा ? मुझे नहीं पता, किन्तु यह निश्चित है कि यदि राजनीतिक दल धर्म को देश से ऊपर रखेंगे तो हमारी आजादी दोबारा खतरे में पड़ जाएगी और शायद हमेशा के लिए हम आजादी से हाथ धो बैठेंगे । ऐसी किसी भी सम्भावना से बचने के लिए हमें संकल्पबद्ध होना पड़ेगा । हमें यह दृढ़ निश्चय करना होगा कि हम अपने खून के आखिरी कतरे तक आजादी की रक्षा करेंगे।''[12] उन्होंने इसी प्रकार जातिपाति से देश को ऊपर रखने की बात कही और कहा, ''अगर पार्टियों ने देश से ऊपर जाति को रखा तो हमारी स्वतंत्रता दोबारा खतरे में पड़ जाएगी तथा शायद यह हमेशा के लिए हमसे छिन जाए । यह दुर्घटना न होने पाए, हमें ऐसे उपाय करने होंगे । हमें अपने खून के कतरे की आखिरी बूंद तक अपनी आजादी को बचाए रखना होगा ।''

डॉ० अम्बेडकर को सौभाग्य मिला कि उनके हाथों संविधान का निर्माण हुआ । यह भी सत्य है कि जो व्यक्ति जो कुछ लिखता है उसमें

वह अपने व्यक्तित्व के अनुसार भी कुछ न कुछ अवश्य लिखता है। भारतीय संविधान भी इसका अपवाद नहीं हो सकता । डॉ० अम्बेडकर ने इसमें बहुत सी ऐसी बातें जोड़ी जो भारतीय प्रजातन्त्र में सामाजिक व आर्थिक समता के लिए जरूरी थीं । यह उनकी विशेष देन है।

मौलिक अधिकार बाबा साहेव की महान देन है। अमेरिका में पढ़ते समय अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों को देखकर वे प्रभावित हुए थे और जब से उन्होंने राजनीति में कदम रखा वे इनको संविधान में रखने के लिए संघर्ष करते रहे । शुरु से वे चाहते थे कि समाज में सभी समान हों, स्वतन्त्र हों और सबको योग्यता के अनुसार काम करने का अधिकार हो । इन सबका उन्होंने संविधान में प्रावधान किया । जिस समय संविधान बनाया जा रहा था उस समय अमेरिका के एक न्यायविद ने डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को लिखा था कि मौलिक अधिकार विकास में बाधक हैं, इन्हें संविधान में न रखा जाए, लेकिन अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी और संविधान का हिस्सा बनाया । आज सभी को अपना व्यवसाय चुनने का अधिकार है । डॉ० अम्बेडकर का इसी बात पर गांधी जी से मतभेद था । गांधी जी का मानना था कि व्यक्ति को अपने पैतृक व्यवसाय को अपनाना चाहिए लेकिन डॉ० अम्बेडकर इससे सहमत नहीं थे । उनका मानना था कि व्यक्ति को जात पात से बाहर निकलकर अपनी योग्यता के अनुसार व्यवसाय अपनाने का अधिकार होना चाहिए । डॉ० अम्बेडकर इसमें सफल हुए । आज कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति का हो अपनी योग्यता के अनुसार व्यवसाय कर सकता है । सभी समान हैं। सबको बोलने, आने-जाने की पूरी स्वतंत्रता है ।

डॉ० अम्बेडकर महान देशभक्त थे । देश उनको सर्वोपरि था। उन्होंने कभी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे देश की एकता को खतरा

पहुंचे । देश को एकता में बांधने के लिए उन्होंने विभिन्न भाषाओं, विभिन्न संस्कृतियों, रीति-रिवाजों के इस देश में देश को एक सूत्र में बांधने के लिए एक राष्ट्र भाषा का फार्मूला दिया । वे चाहते थे कि संस्कृत देश की राष्ट्र भाषा हो लेकिन वह नहीं हो सका और बाद में हिन्दी को देश की राष्ट्र भाषा बनाया और जब तक यह नहीं होता अंग्रेजी को इसका स्थान दिया । आज सारा देश भाषा की दृष्टि से संगठित है ।

देश की एकता के लिए उन्होंने केन्द्र को मजबूत किया । अमेरिका की तरह यहां राज्यों का अपना संविधान नहीं है और न ही उन्हें स्वायत्ता प्राप्त है । आज बहुत सारे विषय जैसे सुरक्षा, डाक सेवा, रेल सेवा, वित्त विभाग, सिविल सर्विसिज जैसे महत्त्वपूर्ण विषय केन्द्र के हाथों में हैं। ये सब देश को एक रखने के लिए सार्थक सिद्ध हुए हैं।

भारतीय संविधान में धारा 356 विशेष महत्त्व रखती है। कई बार इसको हटाने की मांग उठती रही है, लेकिन भारत जैसे देश में इसका बना रहना आवश्यक है। जब भी किसी राज्य की संवैधानिक मशीनरी ठप्प हो जाए तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल कई बार हुआ है। इसने देश की एकता को कायम रखने में मदद की है । जब भी कभी इसे स्वार्थवश नाजायज ढ़ंग से लागू करने की कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से रोका है । बाबा साहेब की यह महान देन है ।

देश में न्यायपालिका को सर्वोपरि बनाया गया है। वह विधानपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा कर सकती है और यदि संविधान के खिलाफ हो तो रद्द कर सकती है। जनता का

न्यायपालिका पर विश्वास है और पिछले समय में न्यायपालिका ने ऐसे कई कानूनों की समीक्षा की है जो संसद द्वारा पास किए गए थे। आज भारत की न्यायपालिका विश्व की सभी न्यायपालिकाओं से सर्वश्रेष्ठ है।

संविधान में कमजोर वर्गों के लिए, विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग के लिए सुरक्षा के विशेष प्रावधान किए हैं। उनके लिए आरक्षण की नीति अपनाई गई है जो एक नया विचार है। इससे इन जातियों को लाभ हुआ है । आज अमेरिका में भारत की तरह नीग्रोज को आरक्षण दिया गया है । आज समाज में जो बदलाव आया है वह आरक्षण नीति के कारण है । यह बाबा साहेब की महान देन है जिसके लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। आरक्षण से ही समाज में आर्थिक समता आ सकती है जो सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है।

संविधान बनाते समय डॉ० अम्बेडकर के दृष्टिकोण तथा चिन्तन से उनकी अन्तर्दृष्टि तथा दूरदर्शिता का पता चलता है । हमें उनकी इस दूरदृष्टि, स्पष्टवादिता, निष्कपटता तथा कार्य के प्रति उनकी समर्पणता की सराहना करनी चाहिए । आज उनके विचारों की प्रासंगिकता है। उनका कहा हुआ एक-एक शब्द सत्य है तथा अनुकरणीय है । यदि हम उनके कहे हुए शब्दों का अनुकरण नहीं करेंगे तो समाज व राष्ट्रपर अनैतिकता तथा धर्मान्धता हावी हो जाएगी और देश उन कृतज्ञ देशभक्तों द्वारा अर्जित की गई कमाई को हमेशा- हमेशा के लिए खो बैठेगा ।

सारांश में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान बाबा साहेब की महान देन है । वह देश की समाज व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन चाहते थे जिसके अनुरूप उन्होंने इसका निर्माण किया । उन्होंने हजारों

वर्षों से नकारी गई जातियों को मुक्ति और सम्मान दिलाया । जनतन्त्र, राष्ट्रवाद, समता, स्वतंत्रता, बन्धुता और मानवीय मूल्यों को संविधान में स्थान दिया गया । राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त उसमें जोड़े गए। आज उसी संविधान से देश का शासन चल रहा है । उनके व्यक्तित्व के बारे में पंडित जवाहर लाल नेहरु के ये शब्द स्मरणीय हैं :

''डॉ० अम्बेडकर दलितों के नेता थ`। साहित्यिक दृष्टि से वे विद्वान थे, एक महान् शिक्षाशास्त्री थे, वे एक ओजस्वी व्यक्तित्व के धनी थे, वे एक योग्य संसद सदस्य और एक आदर्श संविधान के निर्माता थे ।'' अन्त में एस०सहाय के ये शब्द उल्लेखनीय हैं : ''देश को आजाद कराने का श्रेय महात्मा गांधी को जाएगा, लेकिन संविधान बनाने का श्रेय महान आलोचक, प्रतिद्वन्द्वी डॉ० अम्बेडकर को जाएगा । केवल संविधान का ही नहीं बल्कि समस्त राष्ट्र को उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए । उनका नाम न केवल आज की संतान अपितु आने वाली सन्तानें भी आदर के साथ याद रखेंगी।''

सन्दर्भ सूची

1. डॉ० वावा साहेव अम्वेडकर (राइटिंग्स एण्ड स्पीचिज, खण्ड 13 पृष्ठ 24-25 ।
2. सरदार पटेल्ज़ कॉरसपोंडेंस खण्ड 5 पृष्ठ 149 ।
3. भारतीय संविधान के निर्माता - मिथक और यथार्थ, शेष राव चहवान, पृष्ठ 142 ।
4. Dr. Ambedkar and His Mission, Dr. Dhanjay Keer, P 428.
5. डॉ० वावा साहेव अम्वेडकर(राइटिंग्स एण्ड स्पीचिज, खण्ड 13 पृष्ठ 49-70 ।
6. Ambedkar and Social Justice, Part-II, P-277.
7. डॉ० वावा साहेव अम्वेडकर(राइटिंग्स एण्ड स्पीचिज, खण्ड 13 पृष्ठ 1208-1209 ।
8. वही, पृष्ठ 76-78
9. वही, पृष्ठ 1163-1196
10. वही, पृष्ठ 1202-1204
11. वही, खण्ड 11 पृष्ठ 972-981
12. वही, खण्ड 11 पृष्ठ 1206-1218